

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर

डुप्लीकेट अंकसूची / माइग्रेशन

प्रपत्र – आर – 0015 ©

प्रति,

सचिव,

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल,
रायपुर

विषय :- डुप्लीकेट अंकसूची / माइग्रेशन प्रदान करने बाबत।

मेरी कक्षा की डुप्लीकेट अंकसूची / माइग्रेशन प्रदान करने हेतु मुझसे संबंधित जानकारी निम्नलिखित है :-

1. नाम (अंग्रेजी के केपीटल लेटर में) []

2. पिता / पति का नाम (अंग्रेजी के केपीटल लेटर में) []

3. माता का नाम (अंग्रेजी के केपीटल लेटर में) []

4. कक्षा का नाम – X / XII []

5. परीक्षा (मुख्य / अवसर) वर्ष II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX []

6. परीक्षा का रोल नम्बर []

7. परीक्षा केन्द्र क्रमांक []

8. परीक्षा केन्द्र का नाम

9. संलग्न शुल्क : बैंक ड्राफ्ट क्रं. / रसीद क्रं. [] दिनांक []

रुपये (अंकों में) शब्दों में बैंक का नाम

बैंक शाखा शाखा कोड

केवल डुप्लीकट अंकसूची / माइग्रेशन हेतु उपयोग में लायें

स.क्रं.	कक्षा	परीक्षा वर्ष	केन्द्र क्रमांक							रोल नम्बर						
1.																
2.																
3.																

घोषणा—पत्र

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने कक्षा की मुख्य / अवसर परीक्षा वर्ष

में उत्तीर्ण की हूँ / किया हूँ, किन्तु मेरा / मेरी डुप्लीकेट अंकसूची / माइग्रेशन हेतु आवेदन किया है। मुझे डुप्लीकेट अंकसूची / माइग्रेशन प्रदान करने का कष्ट करेंगे एवं मुझसे संबंधित उपरोक्त समस्त जानकारी सत्य है, किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा / रहूँगी।

संलग्न दस्तावेज (✓ करें निर्देशानुसार)

1. शुल्क [] परीक्षार्थी के स्वयं के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का नाम

पत्र व्यवहार का पूर्ण पता

2. शपथ पत्र [] जिला राज्य

पिन कोड मो.नं.

ई-मेल आई.डी.

आधार नं.

टीप : – 1. डुप्लीकेट अंकसूची हेतु शुल्क 100/- प्रति अंकसूची (हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी के लिये पृथक–पृथक)

2. माइग्रेशन हेतु शुल्क 100/- प्रति माइग्रेशन (हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी के लिये पृथक–पृथक)

3. डी.डी. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर के नाम पर देय होगा या छ.ग.राज्य ओपन स्कूल कार्यालय रायपुर में डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।